राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट जयपुर, दिनांकः 18 JUL 2019

आदेश

नगर विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों एवं आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 नियम 17 एवं आवासन मण्डल के नियमों के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों जिनकी सम्पूर्ण राशि आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाये जाने से आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में उक्त नियमों के नियम 17(5)(III) में ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमन करने का प्रावधान है। नियम–31 में ब्याज व छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2019–20 में घोषणा संख्या 222 में विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से आवंटित ई.डबल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 17(5)(III) व सपठित नियम 31 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.01.2001 से आवंटित ई.डबल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक एक मुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व शास्ति में शत–प्रतिशत छूट एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, वित्त सचिव (राजस्व) विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
10. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. समस्त सचिव, नगर विकास न्यास।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
16. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय